भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

20.08.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 4578 का उत्तर

महाराष्ट्र में आरओबी/आरयूबी का निर्माण

4578. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई 2025 तक विशेषकर महाराष्ट्र सहित राज्य-वार कुल कितने आरओबी और आरयूबी स्वीकृत, पूर्ण और निर्माणाधीन हैं;

(ख) आरओबी/आरयूबी के निर्माण के माध्यम से महाराष्ट्र में सभी मानवसहित समपार को समाप्त करने की अनुमानित समय-सीमा क्या है;

(ग) आरओबी/आरयूबी परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के बीच लागत-साझाकरण की वर्तमान नीति क्या है;

(घ) क्या विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण लागत में वृद्धि के मद्देनजर परियोजना के पूरा होने में तेजी लाने के लिए इस वित्तपोषण तंत्र को संशोधित करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उक्त राज्य में आरओबी/आरयूबी परियोजनाओं के लिए किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है और वास्तविक व्यय कितना है और निधियों के अल्प उपयोग, यदि कोई हो, किये जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): भारतीय रेल पर समपारों को समाप्त करने के लिए पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्यों की स्वीकृति और निष्पादन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे कार्यों की गाड़ी

परिचालन में संरक्षा और गतिशीलता पर उनके प्रभाव तथा सड़क उपयोगकर्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और शुरू किया जाता है।

वर्ष 2004-14 की अवधि की तुलना में 2014-25 (जून, 2025 तक) के दौरान भारतीय रेल में निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुल
2004-14	4,148
2014-25 (जून, 2025 तक)	13,426 (महाराष्ट्र राज्य में 1,144 अदद सहित)

दिनांक 01.07.2025 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल पर 1,03,492 करोड़ रुपए की लागत से 4,430 ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्यों को स्वीकृत किया गया है, जिनमें महाराष्ट्र राज्य में 5,197 करोड़ रुपए की लागत के 282 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्य शामिल हैं, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

वर्तमान में, गाड़ी परिचालन में संरक्षा और गाड़ियों की गतिशीलता में सुधार लाने के लिए रेलवे अपनी लागत [राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों पर समपारों को छोड़कर और उन समपारों पर जहां राज्य सरकार/सड़क स्वामित्व प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण अपनी लागत पर कार्य करना चाहते हैं] पर समपार के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों की स्वीकृति और निष्पादन करती है। ये कार्य प्राथमिकता, व्यवहार्यता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप से शुरू किए जाते हैं।

व्यय का ब्यौरा क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है न कि राज्य-वार। महाराष्ट्र राज्य पांच क्षेत्रों अर्थात मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे और पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है। पिछले तीन वित्त वर्षों में सड़क संरक्षा कार्यों के लिए इन रेलों द्वारा कुल 8,440 करोड़ रू. का व्यय किया गया है।

ऊपरी/निचले सड़क पुल के कार्यों के पूरा होने और कमीशन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती हैः-

- समपारों को बंद करने की सहमति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सहयोग,
- पहुँच संरेखण को अंतिम रूप देना,
- सामान्य आरेख व्यवस्था का अनुमोदन,
- भूमि अधिग्रहण,
- अतिक्रमण हटाना, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण,

- **विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां,**
- **परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र में विधि और व्यवस्था की स्थिति,**
- **जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना विशेष/कार्य स्थलों के लिए एक वर्ष में कार्य संबंधी महीनों की वास्तविक संख्या आदि**

*****